पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

उच्च शिक्षा को लेकर राज्यपाल एवं उप मुख्यमंत्री डा0 शर्मा ने बैठक की

अगले माह आयोजित की जायेगी कुलपतियों की बैठक

लखनऊः 27 मई, 2017

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में आवश्यक बदलाव के लिये एक समिति का गठन किया जायेगा। प्रस्तावित समिति के अध्यक्ष राज्यपाल के विधि परामर्शी होंगे। उत्तर प्रदेश शासन के दो वरिष्ठ अधिकारी जिनको प्रमुख उच्च शिक्षा विभागीय मंत्री के परामर्श के उपरान्त नामित करेंगे तथा राज्य विश्वविद्यालय के एक कुलसचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके साथ ही विशेष आमंत्रित के तौर पर राज्य विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति भी समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

उक्त निर्णय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय श्री राम नाईक की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु राजभवन में आयोजित आज एक बैठक में लिया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल सुश्री जूथिका पाटणकर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री संजय अग्रवाल, राज्यपाल के विधि परामर्शी श्री एस0एस0 उपाध्याय उपस्थित थे।

बैठक में आगामी माह में कुलपतियों की बैठक के आयोजन पर भी विचार किया गया। कुलपति सम्मेलन में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के रूप में राज्यपाल श्री राम नाईक, उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री डाॅ0 दिनेश शर्मा, चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टंडन, कृषि शिक्षा मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, विकलांग जन विकास मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर सहित 29 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण तथा संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव बैठक में सम्मिलित होंगे।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु आयोजित बैठक में विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरे जाने, शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के सृजन, नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन, स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों का विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों में यथा स्थान समावेश, शुल्क के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-7(14) एवं 52(3)(ग) में एकरूपता स्थापित करना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ससमय नकलविहीन परीक्षा आयोजित कराना, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार, कुलपति पद का कार्यकाल एवं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण, विश्वविद्यालयों में शोध कार्य बढ़ाने, आॅन लाईन सुविधायें, नैक मूल्यांकन, एकेडमिक आडिट, वेबसाइट अपडेट किये जाने, छात्रसंघ चुनाव, अभिनवीकरण, कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्था, प्लेसमेंट सेल की स्थापना, अंतर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता आदि सहित अनेक अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि 24 मई को राज्यपाल श्री राम नाईक और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की भेंट में विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता के संबंध में चर्चा हुई थी जिसमें आज की बैठक के लिये सहमति बनी थी।

अंजुम/ललित/राजभवन (204/43)